



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2022 / 399

दर्ज तिथि:-15.12.2022

1. सुलेमान पुत्र उकाखां
2. दीनमोहम्मद पुत्र उकाखां जाति मोयला कुम्हार साकिन गुडामालानी जिला बाड़मेर
.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी
.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री मोहनलाल विश्‍नोई

श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादी:-एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

---निर्णय:---

निर्णय तिथि:-17.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत इस्तकराहकक अन्तर्गत धारा-88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया:-

- कि मुताबिक खसरा संख्या 1652 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा राजस्व ग्राम गुडामालानी तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी में से वादीगण को आवंटन आदेश दिनांक 18.03.2016 द्वारा ईट भट्टा चलाने हेतु 01-01 बीघा कुल 02 बीघा भूमि आवंटित की थी।
- वादी वक्त बंदोबस्त से आदिनांक तक उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। इस आधार पर वादी के पिछले 60 वर्षों से कब्जे के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जावें।
- अतः वादी को वर्तमान आराजी खसरा संख्या 1915/1652 रकबा 1.3192 है0 व खसरा संख्या 1969/1917 रकबा 0.1029 है0 मौजा गुडामालानी



वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुतनाजा आराजी में से 01 बीघा भूमि वर्ष 2016 में अस्थाई कजावा हेतु वादी संख्या 02 को आवंटित की गई थी। इसी प्रकार मुतनाजा आराजी में से 01 बीघा भूमि वर्ष 2016 में अस्थाई कजावा हेतु वादी संख्या 03 को आवंटित की गई थी। वादी संख्या 02 व 03 को कभी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए। साथ ही वादी संख्या 02 व 03 को अस्थाई कजावा हेतु आवंटन भूमि की समयावधि समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार वादी का दावा सारहीन होने के कारण काबिल-ए-खारिज है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गये:-

• आया वादीगण वादवर्णित आराजी पर आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है ?
(जिम्मे वादी)

• आया वादीगण वादवर्णित आराजी पर दीर्घकाल से कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?
(जिम्मे वादी)

• आया वादीगण वादवर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार होने के आधार पर विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?
(जिम्मे वादी)

• आया मुतनाजा वादवर्णित आराजी का केवल कजावा हेतु अस्थाई रूप से आवंटन होने व इस आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रकरण नहीं बनने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज हैं ?
(जिम्मे प्रतिवादी)

• आया मुतनाजा आराजी पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रकरण नहीं बनने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज हैं ?
(जिम्मे प्रतिवादी)

• अन्य सहायता.....

(.....जिम्मे उभय पक्षकारान)

4. पत्रावली पर विचारण आरंभ किया गया। पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए-

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 01 संवत 2072-76 मौजा गुडामालानी	प्रदर्श-01
नक्शा	खाता संख्या 01 मौजा गुडामालानी	प्रदर्श-02
	नामांतरकरण दिनांक 04.08.2022	प्रदर्श-03
नक्शा	नजरी नक्शा मौजा गुडामालानी	प्रदर्श-04

	अनापत्ति प्रमाण पत्र खसरा संख्या 1652 ग्रा.प. गुड़ामालानी	प्रदर्श-05
	अनापत्ति प्रमाण पत्र खसरा संख्या 1652 ग्रा.प. गुड़ामालानी	प्रदर्श-06
	अनापत्ति प्रमाण पत्र खसरा संख्या 1652 ग्रा.प. गुड़ामालानी	प्रदर्श-07
	कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट	प्रदर्श-08
	जमीन आवंटन आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी	प्रदर्श-09
	नोटिस	प्रदर्श-10

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी
सुलेमान पुत्र उका	मोयला	गुड़ामालानी
रोशन खां पुत्र भुरा खां	कोटवाल	गुड़ामालानी

6. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए वर्तमान खसरा संख्या 1915 / 1652 रकबा 1.3192 है0 व खसरा संख्या 1969 / 1917 रकबा 0.1029 है0 वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

7. मैंने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैं:—

1. आया वादीगण वादवर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार होने के आधार पर विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

सत्यमेव जयते.....वादीगण

8. प्रकरण में प्रथम तनकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 से संबंधित है। इस कारण प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:—

15. Khatedar tenants— (1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force

shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:

Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:

(a) that the land held by him was let out to him after the commencement of this Act.

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).

(c) that when the land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application, declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (1).

9. उपरोक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रावधान है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभावी होने के दिनांक 15.10.

1955 के समय प्रत्येक काश्तकार बतौर खातेदार घोषित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

10. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत् 2012 में वर्तमान आराजी खसरा संख्या 1915/1652 रकबा 1.3192 है0 व खसरा संख्या 1969/1917 रकबा 0.1029 है0 मौजा गुडामालानी राज्य सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभावी होने के दिनांक 15.10.1955 के समय मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 657 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड नहीं है। साथ ही वादीगण द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया संवत्-2012 के समय किसी प्रकार का पर्चा लगान या अन्य कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही प्रदर्श-09 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी वादीगण को अस्थाई रूप से कजावा चलाने हेतु केवल एक वर्ष के लिए आवंटित की गई थी। उक्त एक वर्ष की समयावधि अब समाप्त हो चुकी है। उक्त आवंटन आदेश किसी प्रकार से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान या निहित करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में वादीगण स्वयं का नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड से साबित करने में असफल रहे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को मौके पर काबिज होने के सम्बन्ध में अपना पक्ष साबित करने में भी असफल रहे।

11. अब प्रकरण में द्वितीय तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैं:-

3. आया वादीगण वादवर्णित आराजी पर दीर्घकाल से कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

सत्यमेव जयते.....वादीगण

12. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। प्रकरण में वादीगण द्वारा अभिकथन किया गया है कि वादीगण का वर्तमान आराजी खसरा संख्या 1915/1652 रकबा 1.3192 है0 व खसरा संख्या 1969/1917 रकबा 0.1029 है0 मौजा गुडामालानी पर करीब 50 वर्षों से अधिक समय से शांतिपूर्वक, निर्विरोध कब्जा चला आ रहा है। इस आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 (1) (4) तथा परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-27 के तहत प्रतिवादीगण के उक्त आराजी से अधिकार निर्वापित हो गए हैं तथा वादीगण खातेदार कृषक हो गए हैं।

13. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। इस संबंध में प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः

सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

63. Tenancy when extinguished— (1) The interest of tenant in his holding or a part thereof as the case may be, shall be extinguished

(i) When he dies leaving no heir entitled to merit in accordance with the provisions of this Act:

(ii) when he surrenders or abandons it in accordance with the provisions of this Act or Rajasthan land revenue Act:

(iii) when his land has been acquired under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 1 of 1894)

(iv) when he has been deprived of possession and his right to recover possession is barred by limitation:

(v) when he has been ejected therefrom in accordance with the provisions of this Act.

(vi) when he acquires or succeeds to all the rights therein of a landholder or the landholder inherits or otherwise acquires the same.

(vii) when he sells or makes a gift thereof in accordance with the provisions of this Act, or

(viii) if he migrates from India to a foreign -country without obtaining a valid passport or without lawful authority:

(ix) if the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of they Rajasthan Land Revenue-Act 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956) or rules framed thereunder or under any other law for the time being in force.

Explanation-For the purpose of clause (viii) a tenant who moves or enters into a foreign country without obtaining a valid passport under the India Passport Act, 1920 (Central Act No. 34 of 1920) or without a lawful authority shall be presumed to have migrated from India to a foreign country.

(2) The extinction of the interest of a tenant shall operate to extinguish the interest of any sub-tenant holding under him :

Provided that in every case not being a case specified in clause (iii) of sub-section (1) such -sub-section shall unless he himself has also been ejected or has become or is liable to ejection under any provision of this Act or any other law for the time being in force or unless he shall have been admitted to his holding otherwise than in accordance with law, have the right to apply for the acquisition of his right of his tenant-in-chief in such holding and in the improvements therein on payment of compensation determinable in accordance-with sections 23, 24 and 25.

14. इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में वादी द्वारा कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जा/एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-88 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्ती हेतु अनुतोष चाहा है। उक्त अनुतोष

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-88 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 के तहत निवेदित किया गया है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा छोटू बनाम छीतर व गोपाल बनाम श्रावणी अपील में दिनांक 12.11.2013 को दिये गये निर्णय तथा सरजू राव बनाम अमृत लाल प्रकरण संख्या-2002/5176 अपील में दिनांक 30.08.2018 को दिये गये निर्णय में विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं मिलने का न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये हैं। अतः प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:-

60. *After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatadari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possession. It is creating a lot of chaos and confusion among the litigants as well as the administrative machinery. This omission in the land laws has also become a cause of multiplicity of litigation. Therefore, we would like to recommend the State of Rajasthan through Chief Secretary for 39 making suitable changes in the land laws of the State so as to abolish the law of adverse possession in its entirety and in the alternate to make a clarification for vesting of khatadari rights of the lands, which have been acquired through adverse possession.*

12. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7764/2014 रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर प्रकरण में दिनांक 07.08.2019 को दिये गये निर्णय के आधार पर विपरीत कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 के तहत स्वामित्व/खातेदारी अधिकार नहीं मिलने के न्यायिक दृष्टांत के आधार पर भी वादी को उक्त आराजी पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7764/2014 रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर प्रकरण में दिनांक 07.08.2019 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण यहा प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

39. *In the light of the aforesaid discussion, when we consider the decision in Gurdwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala & Anr., (2014) 1 SCC 669 decided by two Judge Bench wherein a question arose whether the plaintiff is in adverse possession of the suit land this Court referred to the Punjab & Haryana High Court decision on Gurdwara Sahib Sannauli v. State of Punjab (2009) 154 PLR 756 and observed that there cannot be 'any quarrel' to the extent that the judgments of courts below are correct and without any blemish. Even if the plaintiff is found to be in adverse possession, it cannot seek a declaration to the effect that such adverse possession has matured into ownership. The discussion made is confined to para 8 only. The same is extracted hereunder:*

"4. In so far as the first issue is concerned, it was decided in favour of the plaintiff returning the findings that the appellant was in adverse possession of the suit property since 13.4.1952 as this fact had been proved by a plethora of

documentary evidence produced by the appellant. However, while deciding the second issue, the court opined that no declaration can be sought on the basis of adverse possession inasmuch as adverse possession can be used as a shield and not as a sword. The learned Civil Judge relied upon the judgment of the Punjab and Haryana High Court in Gurdwara Sahib Sannuali v. State of Punjab (2009) 154 PLR 756 and thus, decided the issue against the plaintiff. Issue 3 was also, in the same vein, decided against the appellant.

15- इस प्रकार उपरोक्त विधि प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टान्तों के परिपेक्ष्य में स्पष्ट है कि वर्तमान संदर्भ में केवल कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जे के आधार पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में भी केवल कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के कोई प्रावधान नहीं है।

16. इसके साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-19 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किन्तु मौके पर काबिज काश्तकारों को अपना प्रकरण साबित करने पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण में वादीगण स्वयं का नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड से साबित करने में असफल रहे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को मौके पर काबिज होने के सम्बन्ध में अपना पक्ष साबित करने में भी असफल रहे। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या-01 को साबित करने में असफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या-01 वादी के पक्ष में अस्वीकार की जाती है।

17. अब प्रकरण में तृतीय तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैं:-

3. आया वादीगण वादवर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार होने के आधार पर विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

18. प्रकरण में तृतीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) *The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*

(a) *if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*

(b) *if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*

(c) *where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*

(d) *where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

19. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

20. इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के तहत केवल खातेदार ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रकरण में वर्तमान आराजी खसरा संख्या 1915/1652 रकबा 1.3192 है0 व खसरा संख्या 1969/1917 रकबा 0.1029 है0 मौजा गुडामालानी तहसील गुडामालानी वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड नहीं है। साथ ही तनकी संख्या-01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार नहीं होने से वादीगण के कोई खातेदारी अधिकार घोषित नहीं होते हैं। इस आधार पर वर्तमान आराजी खसरा संख्या 1915/1652 रकबा 1.3192 है0 व खसरा संख्या 1969/1917 रकबा 0.1029 है0 मौजा गुडामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित नहीं होता है। उक्त आधारों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित नहीं करती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता

है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या-02 को साबित करने में असफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या-02 वादी के पक्ष में अस्वीकार की जाती है।

21. अब प्रकरण में तृतीय व चतुर्थ तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैं:-

4. आया मुतनाजा वादवर्णित आराजी का केवल कजावा हेतु अस्थाई रूप से आवंटन होने व इस आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रकरण नहीं बनने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।

..... प्रतिवादी

5. आय मुतनाजा आराजी पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रकरण नहीं बनने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।

..... प्रतिवादी

22. प्रकरण में तनकी संख्या-04 तथा तनकी संख्या-05 तनकी संख्या-01, 02 व तनकी संख्या-03 के खण्डन स्वरूप बनाई गई तनकी है। अतः तनकी संख्या-01, 02 व तनकी संख्या-03 वादीगण के पक्ष में स्वीकार नहीं होने से चतुर्थ व पंचम तनकी पर पृथक से विश्लेषण अपेक्षित नहीं है।

23. अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत उपकृषकों को खातेदारी अधिकार केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज काश्तकारों को तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-19 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही किन्तु मौके पर काबिज काश्तकारों को अपना प्रकरण साबित करने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। परन्तु वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-19 के तहत अपना पक्ष मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड साबित करने में असफल रहे है। मुतनाजा आराजी वादीगण को अस्थाई रूप से कजावा चलाने हेतु केवल एक वर्ष के लिए आवंटित की गई थी। उक्त एक वर्ष की समयावधि अब समाप्त हो चुकी है। उक्त आवंटन आदेश किसी प्रकार से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान या निहित करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार आवंटन आदेश के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रकरण साबित करने में भी वादीगण असफल रहे है। अतः

आदेश है कि

**वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज
किया जाता है।**

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 17.03.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुडामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2022 / 399

दर्ज तिथि:-15.12.2022

1. सुलेमान पुत्र उकाखां
2. दीनमोहम्मद पुत्र उकाखां जाति मोयला कुम्हार साकिन गुडामालानी जिला बाड़मेर
.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी
.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री मोहनलाल विश्नोई

श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादी:-एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

सत्यमेव जयते

—:पर्चा डिक्री:—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज
किया जाता है।

यह पर्चा-डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो।
पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा-डिक्री आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर
युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुडामालानी-बाड़मेर